तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18-11-16	पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया उपस्थित। वकील वादिया ने एक प्रार्थना पत्र धारा 151 जा० दि० प्रस्तुत किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादिया ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस करनी चाही। वकील वादिया की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादिया के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मद्देनजर दावा पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। तथा बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम पीथास पटवार हलका पीथास तहसील मांडल में खातेदार हिस्सेदार जोधे भगवतसिंह राजपूत, किशना S/o मैर, नाबालिग व विलायत [illegible] बेवा मैर 1/2 हिस्सा, रतन S/o जोशी दरोगा 1/2 हिस्से के दर्ज रही है जिसकी तस्दीक प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबन्दी की नकल संवत 2067 से 2070 से होती है इसके बाद विवादित आराजियात [illegible], मैर, रोशन S/o लालू, रतन S/o जोशी दरोगा [illegible] के नाम दर्ज थी [illegible] रोशन S/o लालू दरोगा के जरिये विक्रय पत्र रजिस्टर्ड के द्वारा स्वयं हिस्सा विक्रय किया। जिसकी तस्दीक प्रस्तुत विक्रय पत्र की फोटो प्रति प्रमाणित से होती है प्रतिवादी क्र० 3 रतन S/o जोशी ने भी स्वयं हिस्सा भगवत सिंह S/o राजसिंह राजपूत को बेचान कर दिया। जिसकी तस्दीक प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबन्दी की नकल संवत 2067 से 2072 से होती है इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजों व वाद पत्र में वर्णित तथ्यों से जाहिर है कि विवादित आराजियात [illegible] किया गया। विक्रय का दौरान वाद पत्र विक्रय कर

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

APP-A
crim-1

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत ____________________ मुकाम ____________________

____________________ बनाम ____________________

नम्बर मुकदमा ____________________ नं. ____________ सन् ____________

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कर दिये जाने से विवादित आराजियात में वादिया का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी क्र० 1 व 2 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रं 3 द्वारा विक्रय कर दिये जाने से भगवतसिंह S/O राजसिंह का 1/2 हिस्सा है। किन्तु राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजियात केवल रूप से दर्ज है जबकि विवादित आराजियात खातेदारान द्वारा स्पष्ट-स्पष्ट हिस्से बंटवारा बेचान कर दिया गया। जिसकी तस्दीक प्रस्तुत रिपोर्ट से होती है वादिया प्रस्तुत प्रार्थनापत्र से बंटवारा होने का खातेदार काश्तकार घोषित होकर उक्त बंटवारा राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करना चाहती है जिसकी तस्दीक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 जा०दी० से होती है. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया पक्ष के वाद पत्र व प्रार्थना पत्र को डिक्री करने में सक्षम होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं. अतः ःः आदेश ःः वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 जा०दी० को स्वीकार किया जाकर के वादिया का वाद पत्र भी स्वीकार किया जाकर डिक्री प्रतिवादी क्र० 1 ता 3 के हक वादिया विरुद्ध	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तामील मे जारी हुए
	आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पीथास पटवार हलका पीथास तहसील मांडल में स्थित खाता खतौनी नं. 1551 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से वादिया को 1/3 हिस्से, प्रतिवादी क्र० 1 व 2 को 1/6 हिस्से, प्रतिवादी क्र. 3 के बजाय भगवतसिंह S/o राजसिंह राजपूत को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उसी प्रकार सभी वादिया एवं प्रतिवादी क्र० 1 व 3 के हिस्से के प्रकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे। खर्चा फरीकैन स्वयं अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	